



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 143-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 11, 2023 (SRAVANA 20, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 अगस्त, 2023

**संख्या 5/1/2020(I)-2 गृह गोपनीय.**— स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 46) की धारा 9 के खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु निम्नलिखित अध्यक्ष तथा सदस्यों से मिलकर बनने वाले सलाहकार बोर्ड का गठन करते हैं, अर्थात्:—

1	माननीय न्यायमूर्ती श्री के. सी. पुरी, (सेवानिवृत्त) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय	अध्यक्ष
2	माननीय न्यायमूर्ती श्रीमती राज राहुल गर्ग, (सेवानिवृत्त) पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय	सदस्य
3	श्री पवन गिरधर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा	सदस्य

सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों के अन्य निबन्धनों तथा शर्तों को अलग से जारी किया जाएगा।

टी० वी० एस० एन० प्रसाद,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
गृह विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT****HOME DEPARTMENT****Notification**

The 11th August, 2023

**No. 5/1/2020(I)-2HC.**— In exercise of powers conferred under clause (a) of section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (Central Act 46 of 1988), the Governor of Haryana hereby constitutes an Advisory Board consisting of following Chairperson and members for the purposes of the said Act, namely:-

1	Hon'ble Mr. Justice K.C. Puri, (Retd.) Punjab and Haryana High Court	Chairperson
2	Hon'ble Mrs. Justice Raj Rahul Garg (Retd.) Punjab and Haryana High Court	Member
3	Sh. Pawan Girdhar, Additional Advocate General, Haryana	Member

The other terms and conditions of the Chairperson and members of the Advisory Board shall be issued separately.

T. V. S. N. PRASAD,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Home Department.